[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 05 मई, 2022

का.आ.(अ).- केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 435 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमित से, झारखंड राज्य में अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त के न्यायालय, रांची को उक्त अधिनियम की धारा 435 की उपधारा (2) के खंड (क) के अनुसार दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों का शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करती है।

[फा.सं.01/12/2009-सीएल-l (खंड-IV)]

भागीज पाण्डेय) संयुक्त सचिव, भारत सरकार

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 05 May, 2022

S.O. (E).—In exercise of the powers conferred by section 435 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Jharkhand, hereby designates the Court of Additional Judicial Commissioner, Ranchi in the State of Jharkhand as Special Court for the purposes of providing speedy trial of offences punishable with imprisonment of two years or more as per clause (a) of sub-section (2) of section 435 of the said Act.

[F.No.01/12/2009-CL-I (Vol.IV)]

(MANOJ PANDEY)

JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA